



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी-127021

Board of School Education Haryana, Bhiwani-127021

क्रमांक: 567...../शैक्षिक/ए-2

दिनांक: 02.07.2021

अधिसूचना

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के एक्ट-11 ऑफ 1969 की धारा-12(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च/अप्रैल-2021 की परीक्षा के परिणाम से संबंधित अंकों की सारिणी हेतु निम्नलिखित नीति का अनुमोदन कर दिया गया है:

सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च/अप्रैल-2021 का परीक्षा परिणाम घोषित करने से संबंधित अंकों की सारिणी बारे नीति।

i) पृष्ठभूमि:-

कोविड-19 महामारी के कारण इस बोर्ड द्वारा, बोर्ड की सीनियर सैकेण्डरी मार्च/अप्रैल-2021 की परीक्षाओं को निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के पत्र यादि क्रमांक:- 10/4-2020 ACD(15) दिनांक:-15.04.2021 के बिन्दु संख्या-02 में वर्णित निर्देशों के तहत स्थगित करना पड़ा।

दिनांक 23.05.2021 को माननीय रक्षामंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में मंत्री समूह (केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री केन्द्र सरकार) के साथ-2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, शिक्षा सचिव एवं बोर्डों के अध्यक्षों को शामिल करते हुए सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा के आयोजन के लिए सुझाव ऑन-लाईन बैठक के माध्यम से आमंत्रित किये गये थे। सभी प्रदेशों द्वारा दिये गये सुझावों के निष्कर्ष के आधार पर निर्धारित शैड्यूल अनुसार बोर्ड की सीनियर सैकेण्डरी की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित किये जाने पर सभी राज्य सहमत हुए।

देश के विभिन्न हिस्सों से सीनियर सैकेण्डरी के परीक्षार्थियों द्वारा अपनी आवाज को इस आशय के साथ माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के पास भेजा गया कि कोरोना महामारी के इस दौर में परीक्षाएं आयोजित करवाई जानी स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। इसी सन्दर्भ में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा बोर्ड की सीनियर सैकेण्डरी की वार्षिक परीक्षा का आयोजन रद्द करने की घोषणा की गई। उन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम बिना परीक्षा आयोजित किये ही घोषित करने के लिए फार्मुला तैयार किया जाये।

परीक्षार्थियों के सुरक्षित जीवन एवं स्वास्थ्य के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकेण्डरी परीक्षाओं को रद्द करने बारे निर्णय लिया गया। उसी को आधार मानते हुए हरियाणा सरकार द्वारा भी उक्त परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया।

ii) हालांकि, परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन विद्यालयों से आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक पहले ही मंगवाये जा चुके थे। इसी के संदर्भ में, दिनांक 18.06.2021 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा का परिणाम तैयार करने बारे एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:-

1. उपाध्यक्ष, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
3. संयुक्त सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।

उक्त बैठक में शामिल उच्चाधिकारियों द्वारा सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा परिणाम तैयार करने बारे जो निर्णय लिया गया, वो इस प्रकार है:-

क) सैकेण्डरी परीक्षा परिणाम के अंकों का अधिमान = 30%

ख) कक्षा ग्यारहवीं परीक्षा परिणाम के अंकों का अधिमान = 10%

(बोर्ड द्वारा ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा हेतु प्रश्न-पत्र उपलब्ध करवाये गये थे, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण सभी विषयों की परीक्षा आयोजित करवाना सम्भव नहीं हो सका। इसी कारण कक्षा ग्यारहवीं के परिणाम को 10% अंक दिये जायेंगे।)

ग) सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के लिए आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक संबंधित विद्यालयों के माध्यम से पहले ही कार्यालय में मंगवाये हुए हैं इसलिए आंतरिक

मूल्यांकन एवम् प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिमान = 60%

(कोविड-19 महामारी के कारण बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त अधिकतर विद्यालयों में प्री-बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सका। हालांकि, बाहरी पर्यवेक्षक की उपस्थिति में प्रत्येक विद्यालय में आंतरिक एवम् प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन (फोटो साक्ष्य सहित) किया गया था। इसलिए सभी परीक्षार्थियों के लिए अंक/मूल्यांकन निष्पक्ष, विश्वसनीय, उचित एवम् पारदर्शी हैं। इसलिए 12वीं कक्षा में आंतरिक एवम् प्रायोगिक के 60% अंक दिये जायेंगे।)

इस प्रकार सीनियर सैकेण्डरी की वार्षिक परीक्षा के कुल अंक = 100%

iii) उल्लेखनीय है कि उक्त फॉर्मूला हरियाणा सरकार को भेजा गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित फॉर्मूले की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिसे निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा के पत्र यदि क्रमांक:- 10/4-2020 ACD (15) दिनांक:- 25.06.2021 के अंतर्गत बोर्ड कार्यालय को सूचित किया गया। इस समय उक्त फॉर्मूले के अनुसार अंकों का जो निर्धारण किया गया, उसे आज की बैठक में रखा गया है।

भारत सरकार द्वारा सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षा रद्द करने के निर्णय के विरुद्ध एक जनहित याचिका WRIT PETITION © NO. 620 OF 2021 ANUBHA SHRI VASTAV SAHAI & ORS (PETITIONERS) VERSUS UNION OF INDIA & ORS (RESPONDENTS) माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर हुई। सभी पक्षों को सुनने उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के सभी शिक्षा बोर्डों को सीनियर सैकेण्डरी के परिणाम से संबंधित फॉर्मूला तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया गया तथा निर्णय के 10 दिन के अन्दर-2 उक्त फॉर्मूले को नोटिफिकेशन के माध्यम से सार्वजनिक करने के निर्देश दिये गये।

iv) सीनियर सैकेण्डरी के विषयों के लिखित/प्रायोगिक एवं आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) के अंकों का बंटवारा अलग-02 होने के कारण इन्हें पांच वर्गों में बांटा गया है:-

- (क) लिखित परीक्षा के 80 अंक एवं आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) के 20 अंक।
 (ख) लिखित परीक्षा के 70 अंक, आन्तरिक एवं प्रायोगिक के 30 अंक।
 (ग) लिखित परीक्षा के 60 अंक, आन्तरिक के 20 एवं प्रायोगिक के 20 अंक।
 (घ) लिखित परीक्षा के 40 अंक, आन्तरिक के 20 एवं प्रायोगिक के 40 अंक।
 (ङ) लिखित परीक्षा के 30 अंक, आन्तरिक के 20 एवं प्रायोगिक के 50 अंक।

इसी के दृष्टिगत, निम्नलिखित तालिका के अनुसार, अंकों का बंटवारा करके सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के अंतिम अंक निर्धारित होंगे। उक्त अनुसार, सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के अंकों के निर्धारण की निम्नलिखित सारिणी बनती है:-

उदाहरण:

	Theory Marks			INA and Practical Marks	Total Marks		
	Class X 30%	Class XI 10%	Class XII 60%	Class XII	Class X	Class XI	Class XII
80	24	8	48	20	24	8	68
70	21	7	42	30	21	7	72
60	18	6	36	40	18	6	76
40	12	4	24	60	12	4	84
30	9	3	18	70	9	3	88

Roll No.	Over All Marks (%) 10th	Over All Marks (%) 11th	Marks Per.(%) INA+PRACTICAL SUBJECT WISE 12 th (Marks already received in the Board office.)
1000001	65%	58%	90.00% - if marks obtained 18 out of 20
			95.00% - if marks obtained 19 out of 20
			85.00% - if marks obtained 17 out of 20
			80.00% - if marks obtained 16 out of 20
			90.00% - if marks obtained 18 out of 20

Calculation Formula to calculate theory Marks Subject Wise

SUB MAX MARKS	SUBJECT	10th	11th	12th
80	HIC	$=(80 \times 65 \times 30) / (100 \times 100)$	$=(80 \times 58 \times 10) / (100 \times 100)$	$=(80 \times 90 \times 60) / (100 \times 100)$
80	ENC	$=(80 \times 65 \times 30) / (100 \times 100)$	$=(80 \times 58 \times 10) / (100 \times 100)$	$=(80 \times 95 \times 60) / (100 \times 100)$
80	MAT	$=(80 \times 65 \times 30) / (100 \times 100)$	$=(80 \times 58 \times 10) / (100 \times 100)$	$=(80 \times 85 \times 60) / (100 \times 100)$
80	HIS	$=(80 \times 65 \times 30) / (100 \times 100)$	$=(80 \times 58 \times 10) / (100 \times 100)$	$=(80 \times 80 \times 60) / (100 \times 100)$
60	GEO	$=(60 \times 65 \times 30) / (100 \times 100)$	$=(60 \times 58 \times 10) / (100 \times 100)$	$=(60 \times 90 \times 60) / (100 \times 100)$

****INA-INTERNAL ASSESSMENT**

(Theory Max. Marks) X (Obt. Per(%) in 10th or 11th or 12th) X (Weightage Per(%) of 10th or 11th or 12th) 100X100

नोट: यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा सैकण्डरी कक्षा में कुल 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हैं तो उसके सीनियर सैकण्डरी के लिए लिखित के 80 अंकों के आधार पर 30 प्रतिशत अंक मानने के लिए निम्न अनुसार अंकों की गणना की जायेगी अर्थात्

माना 100 अंकों में से 65 अंक प्राप्त किये गये हैं तो उसे 80 के आधार पर गणना करने के लिए $(65 \times 80) \div 100$ का फार्मूला अपनाया जायेगा। इस प्रकार 52 अंक आयेगे। इन 52 अंकों का 30 प्रतिशत निकालने के लिए $(52 \times 30) \div 100$ का फार्मूला अपनाया जायेगा, जिससे 15.06 प्राप्त होंगे इसे निम्नलिखित सारणी अनुसार समझा जा सकता है:

Subject	THEORY MARKS			TOTAL (10th+11th+12th)	TOTAL MARK (ROUND OFF)	INA	PRC	TOTAL
	10th 30%	11th 10%	12th 60%					
HIC	15.6	4.64	43.2	63.44	63	18		81
ENC	15.6	4.64	45.6	65.84	66	19		85
MAT	15.6	4.64	40.8	61.04	61	17		78
HIS	15.6	4.64	38.4	58.64	59	16		75
GEO	11.7	3.48	32.4	47.58	48	18	18	84

विषयवार अंकों का विवरण निम्न प्रकार से पाठ्य-योजना के अनुसार सीनियर सैकण्डरी के है:-

Sr. No.	Name of the subject	Maximum Marks in theory	Maximum Marks in practical	INA	Total Marks
1.	English (Core/Elective)	80	-----	20	100
2.	Hindi(Core/Elective) (Only for Humanities group) (English special for foreign Students in lieu of Hindi Core)	80	-----	20	100
3.	Sanskrit/Urdu/Punjabi	80	---	20	100
4.	History	80	---	20	100
5.	Political Science	80	---	20	100
6.	Economics	80	---	20	100
7.	Sociology	80	---	20	100
8.	Philosophy	80	---	20	100
9.	Mathematics	80	---	20	100
10.	Public Administration	80	---	20	100
11.	Business Studies	80	---	20	100

12	Physics	70	30	---	100
13	Chemistry	70	30	---	100
14	Biology	70	30	---	100
15	Geography	60	20	20	100
16	Psychology	60	20	20	100
17	Physical Education	60	20	20	100
18	Agriculture	60	20	20	100
19	Home Science	60	20	20	100
20	Military Science	60	20	20	100
21	Accountancy	60	20	20	100
22	Entrepreneurship	60	20	20	100
23	Home Science	60	20	20	100
24	Agriculture	60	20	20	100
25	Geography	60	20	20	100
26	Biotechnology	60	20	20	100
27	Computer Science	40	40	20	100
28	Music	30	50	20	100
29	Dance	30	50	20	100
30	Fine Arts (Painting/Graphics/Sculpture/Applied Arts/Commercial/Arts)	30	50	20	100
31	Only Any one out of A & B of the following subjects : A. ITES, Automobile, Security Services, Retail Industry Business, Beauty and Wellness, Physical Education and Sports, Patient Care Assistant, Travel-Tourism- Hospitality, Agri-Paddy Farming, Media-Animation, Banking and Insurance Services, Banking and Finance Services, Apparel Fashion Design, Vision Technician. (Only for NSQF Selected School) B. OSS Hindi, OSS English (All over Haryana where OSSH or OSSE already exists.)	30 60	50 20	20 20	100 100

नोट:- सैकेण्डरी, ग्यारहवीं, सीनियर सैकेण्डरी के यदि एक या तीनों परीक्षाओं के परिणाम की संख्याओं के अंकों में दशमलव आती है तो उस स्थिति में अंकों का जोड़ दशमलव के बिना ही किया जाएगा। अर्थात् माना यदि किसी परीक्षार्थी के 10वीं के अंक 15.6, 11वीं के 8.4 व 12वीं के 10.7 अंक है तो उनके केवल 15, 8 व 10 अंकों का ही जोड़ करके परिणाम तैयार किया जाएगा।

v) यदि कोई परीक्षार्थी सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी के किसी एक विषय/विषयों में प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित है या विद्यालय द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक नहीं भेजे गए हैं, उस स्थिति में परीक्षार्थी के न्यूनतम उत्तीर्ण 33 प्रतिशत अंक उस विषय/विषयों में माने जाएंगे और यदि सभी प्रायोगिक विषयों/आंतरिक मूल्यांकन के अंक नहीं हैं, उस स्थिति में परीक्षार्थी को अनुपस्थित दर्शाया जाएगा। जिन परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक 6 या 6 से कम दिये गये हैं तो उस स्थिति में भी परीक्षार्थी के न्यूनतम उत्तीर्ण 33 प्रतिशत अंक उस विषय/विषयों में माने जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, कुछ विद्यालयों द्वारा कुछ परीक्षार्थियों के INA/प्रायोगिक के अंक 00 (शून्य) दर्शाए गए हैं, इसके लिए संबंधित विद्यालय से इस बारे पत्र के माध्यम से सूचना ली जाएगी।

vi) विद्यालयों से सीनियर सैकेण्डरी के ऐसे परीक्षार्थी जिन द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, उनके परिणाम के अनुसार कुल अंक तथा जिन द्वारा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, उनकी दसवीं के कुल अंकों के साथ-2 उनके प्रमाण-पत्रों की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करवाई जाएगी। इस प्रकार 11वीं कक्षा के सभी विषयों के अंक अलग-2 रूप में तथा उनके कुल अंकों का जोड़ अपलोड करवाया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत 12वीं में संकाय परिवर्तन कर लिया गया है तो उस स्थिति में भी उसके 11वीं वाले संकाय के लिखित/प्रायोगिक के अंक मानकर ही पास प्रतिशतता निकाली जाएगी। इसके लिए बोर्ड द्वारा एक लिंक उपलब्ध करवाया गया है।

vii) विद्यालयों द्वारा जो डाटा भेजा जाएगा उसे ही अंतिम माना जाएगा तथा उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

viii) रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना:-

(क) विद्यालयों द्वारा जो डाटा भेजा जाएगा, उसे विद्यालय प्राचार्य/कमेटी द्वारा डाटा अपलोड करते समय यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि जो डाटा भेजा जा रहा है, उसकी अच्छी तरह जांच कर ली गई है तथा यह रिकॉर्ड के अनुसार सही है।

(ख) विद्यालयों द्वारा बोर्ड को भेजे गये उक्त डाटा की जांच की जा सकती है।

(ग) यदि किसी समय विद्यालय की लापरवाही/रिकॉर्ड में हेरा-फेरी की बात सामने आती है तो बोर्ड को यह अधिकार होगा कि उक्त विद्यालय की सम्बद्धता खत्म करने, विद्यालय पर सम्बद्धता नियमों के अनुसार आर्थिक दण्ड लगाना या उक्त विद्यालय का परिणाम रोकना इत्यादि कार्रवाई कर सके।

ix) विद्यालयों द्वारा जिन क्रियाकलापों के आधार पर INA के अंक भेजे गये हैं, उन क्रियाकलापों में पुनःजांच/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।



x) अतिरिक्त विषय, कम्पार्टमेंट एवं अंक सुधार की परीक्षा :-

(क) अतिरिक्त विषय एवं अंक सुधार:-

जिन परीक्षार्थियों द्वारा उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत परीक्षा देनी थी ऐसे परीक्षार्थियों का परिणाम तैयार किए गये फॉर्मूले के अनुसार तैयार नहीं किया जाएगा/घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों की जब भी परीक्षा के अनुकूल हालात होंगे उनकी परीक्षा (16 अगस्त से 15 सितम्बर के मध्य) उसी आवेदन पत्र एवं फीस, जो उन द्वारा पहले ही जमा करवाई जा चुकी है, के आधार पर ही आयोजित करवाई जानी है अर्थात् उनसे दोबारा फार्म नहीं भरवाया जाएगा एवं न ही फीस ली जाएगी।

(ख) कम्पार्टमेंट:-

जिन परीक्षार्थियों को कम्पार्टमेंट की परीक्षा देनी थी उन परीक्षार्थियों का परिणाम उन द्वारा पहले दी गई परीक्षा में उन विषयों जिनमें वे पहले ही उत्तीर्ण हैं, उन विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक के आधार पर कम्पार्टमेंट विषय के लिए अंक मानते हुए परिणाम घोषित किया जाएगा।

(ग) सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी के जो परीक्षार्थी मार्च-2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे और उन द्वारा स्वयंपाठी के रूप में मार्च-2021 की परीक्षा के लिए आवेदन किया गया है तो ऐसे परीक्षार्थियों बारे यह निर्णय लिया गया कि जिन विषयों में वे पहले ही उत्तीर्ण हैं, उन विषयों के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर उन अनुत्तीर्ण विषय/विषयों के अंक मानते हुए परिणाम घोषित किया जाएगा।

(घ) जिन परीक्षार्थियों ने सैकण्डरी की परीक्षा किसी अन्य बोर्ड से पास की हुई है और उनके प्रमाण-पत्रों में केवल सुनिश्चित ग्रेडिंग (Absolute Grading) दर्शाई गई है, उनके अंक लगाने बारे निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रमाण-पत्रों के पीछे की ओर जो ग्रेडिंग का आबंटन दर्शाया गया है, जैसे 90 और 100 के बीच में A ग्रेड, 80 और 90 के बीच अलग ग्रेड, ऐसे परीक्षार्थियों के अंकों का निर्धारण बीच की औसत मानते हुए अंक दर्शाए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी परीक्षार्थी के ग्रेडिंग के आबंटन के अनुसार 90 और 100 के बीच के अंकों के अनुसार ग्रेड दिया गया है तो ऐसे परीक्षार्थी के उस ग्रेड के 95 अंक निर्धारित किए जाएंगे।

xi) हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी का परिणाम:-

क) इस समय हरियाणा मुक्त विद्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित कैटेगरी के परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं:-

1. फ्रैश कैटेगरी(पूर्ण विषयों में)

2. STC

3. CTP

एक विषय में CTP एवं STC वाले परीक्षार्थियों को उन द्वारा पहले दी गई परीक्षा में उन विषयों जिनमें वे पहले ही उत्तीर्ण हैं, उन विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक के आधार पर अनुत्तीर्ण विषय के लिए अंक मानते हुए परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि एक से अधिक विषयों में CTP एवं STC हैं, उनके उक्त विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत दर्ज किए जाएंगे।

(ख) सैकेण्डरी के फ्रैश कैटेगरी पूर्ण विषयों के परीक्षार्थियों का परिणाम सभी विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (33%) दर्शाकर घोषित किया जाएगा।

(ग) सीनियर सैकेण्डरी के परीक्षार्थियों का परिणाम उनके सैकेण्डरी परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार तैयार किया जाएगा। सीनियर सैकेण्डरी के परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ सैकेण्डरी के प्रमाण-पत्र की सॉफ्ट कॉपी लगाई हुई है, जिनका बोर्ड कार्यालय में पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध है, अलग से कोई रिकॉर्ड मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सैकेण्डरी के सर्वोत्तम पांच विषयों के अंकों का जोड़ करके जो अंकों की प्रतिशतता आएगी उसी को आधार मानकर पांच विषयों में अंक दर्शाए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी परीक्षार्थी के पांच विषयों का जोड़ 60 प्रतिशत बनती है तो सीनियर सैकेण्डरी में उस परीक्षार्थी के सभी विषयों में 60 अंक दर्शाए जाएंगे।

xii) मैरिट सूची:-

निर्धारित फॉर्मूले अनुसार तैयार किए गए परिणाम के घोषित करने उपरांत मैरिट सूची जारी नहीं की जाएगी।

xiii) ऐसे परीक्षार्थी जो परिणाम से सतुष्ट नहीं होंगे तो परीक्षा के अनुकूल हालात होने पर उनकी परीक्षा (16 अगस्त से 15 सितम्बर के मध्य) उसी आवेदन पत्र एवं फीस, जो उन द्वारा पहले ही जमा करवाई जा चुकी है, के आधार पर ही आयोजित करवाई जानी है अर्थात् उनसे दोबारा फार्म नहीं भरवाया जाएगा एवं न ही फीस ली जाएगी।

xiv) परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी विद्यालयों को उनके लॉग-ईन आई.डी. पर परिणाम सीट उपलब्ध करवाई जाएगी।



XV) उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का, बोर्ड की शैक्षिक समिति की दिनांक 29.06.2021 को हुई बैठक, जिसमें निम्नलिखित शिक्षाविदों/बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया, द्वारा अनुमोदन कर दिया गया तथा परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई हेतु बोर्ड अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया :-

व्यक्तिगत उपस्थिति:-

1. डॉ० वी०पी० यादव, उपाध्यक्ष, ह०वि०शि०बो०, भिवानी।
2. श्री राजीव प्रसाद, ह०प्र०से०, सचिव, ह०वि०शि०बो०, भिवानी।
3. श्री अशोक दिवाकर, उप-कुलपति, स्ट्राक्स, वि०वि०, गुरुग्राम।
4. डॉ० जितेन्द्र भारद्वाज, कुलसचिव, सी०बी०एल०यू०, भिवानी।
5. श्री पवन कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, ह०वि०शि०बो०, भिवानी।
6. डॉ० देव प्रसाद भारद्वाज, फरीदाबाद।
7. डॉ० रणसिंह सैनी, अधिष्ठाता, जोबनेर कृषि वि०वि०, जयपूर।
8. डॉ० विनोद वर्मा, लुआस, हिसार।
9. श्रीमती अनिता शर्मा, प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, भिवानी।
10. श्रीमती मीनाक्षी शारदा, उप-निदेशक।
11. श्रीमती वीना रानी, उप-सचिव।
12. श्री चान्द राम, सहायक सचिव (शैक्षिक)।
13. श्री जगदीश सैनी, सहायक सचिव (सी०सै०)।
14. श्री नेपाल सिंह, अधीक्षक, (शैक्षिक)।

ऑन-लाईन उपस्थिति:-

15. डॉ० आर० के० अनायत, उप-कुलपति, दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल, सोनीपत।
16. डॉ० अवनीश वर्मा, कुलसचिव, जी० जे० यू०, हिसार।
17. डॉ० रिषि गोयल, निदेशक, प्रारंभ।
18. श्री संगीता, यादव, संयुक्त निदेशक, एस० सी० ई० आर० टी० हरियाणा, गुरुग्राम।
19. श्री सुनील बजाज, डिप्टी डायरेक्टर एस०सी०ई०आर०टी० हरियाणा, गुरुग्राम।
20. श्री राजीव शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर, आई०टी०आई०।
21. श्री कृष्ण कुमार, प्रधानाचार्य, रा० व० मा० वि०, लितानी, हिसार।
22. श्री कौशल्या गोस्वामी, प्रधानाचार्य लोहोरिया विश्वविद्यालय।
23. श्रीमती स्नेह गोयल, प्रोफेसर, गुरु जंमेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हिसार।
24. श्री अजय चौहान, विषय विशेषज्ञ, निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिणाम से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने की अवधि निश्चित करने एवं परिणाम समय पर घोषित करने एवं कार्य की तात्कालिकता के दृष्टिगत बोर्ड अध्यक्ष द्वारा बोर्ड स्वीकृति की प्रत्याशा में शैक्षिक समिति द्वारा परिणाम से संबंधित दिए गए प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया।

इस नोटिफिकेशन में दिए गए विवरण के अनुसार ही सी.सै.(शैक्षिक), मु.वि.(सै./सी.सै.) के सभी परीक्षार्थियों तथा सैकेण्डरी के लम्बित परिणाम वाले परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा।


(राजीव प्रसाद, ए.प्र.सै.)
सचिव